



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.05.2026

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में कुल 08 हजार रुपये जुर्मानें व कारावास से कराया गया दण्डित ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में कुल 08 हजार रुपये जुर्मानें व कारावास से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है -

### अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 एनसीआर 63/15 धारा 323/504/506 भादवि के 04 अभियुक्तों 1. जगरुप पुत्र बिन्दवा 2. कमल 3.कमलेश 4.महेश पुत्रगण जगरुप निवासीगण पेस्टा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल 06 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 202/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त रामकिशोर निवासी जैरैली कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 02 हजार रुपये से के जुर्माने दण्डित कराया गया ।